भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4283
उत्तर देने की तारीख: 01.04.2026

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

4283. श्री प्रदीप कुमार वर्मा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत संवितरित की गई पेंशन की राशि कितनी है;
(ग) वृद्धाश्रमों और देख-रेख सेवाओं के लिए कितनी केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है; और
(घ) आगामी वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के विस्तार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 'अटल वयो अभ्युदय योजना' (एवीवाईएवाई) नामक एक व्यापक योजना चला रहा है। इस योजना के तहत पिछले पांच वर्षों, अर्थात् वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, कुल 37,77,133 लाभार्थी लाभांवित हुए हैं।

(ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) चलाता है। एनएसएपी के एक घटक, अर्थात् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के तहत, 60-79 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को ₹200/- प्रति माह तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹500/- प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आईजीएनओएपीएस के तहत पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक) के दौरान जारी की गई पेंशन राशि ₹32,409 करोड़ है।

(ग): 'एवीवाईएवाई' योजना के एक घटक, 'एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम' (आईपीएसआरसी) के तहत, एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में 25-बिस्तरों वाले वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन और मेन्टेनेंस के लिए संगठनों को क्रमशः 25,04,355 रुपये, 24,64,755 रुपये और 24,38,355 रुपये की आवर्ती राशि दी जाती है। एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में 50-बिस्तरों वाले वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन और मेन्टेनेंस के लिए संगठनों को क्रमशः 42,11,228 रुपये, 41,51,282 रुपये और 41,12,228 रुपये की आवर्ती राशि दी जाती है।

केंद्र सरकार में मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए एक्स, वाई और जेड शहरों की तीन श्रेणियां हैं।

शहरों की तीनों श्रेणियों (एक्स, वाई और जेड) में, 25-बिस्तरों वाले वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए 3,09,105 रुपये और 50-बिस्तरों वाले वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए 4,12,140 रुपये का एक अनावर्ती अनुदान प्रदान किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, एवीवाईएवाई योजना के आईपीएसआरसी घटक के तहत 532.45 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(घ): सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, जिनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके और उनको अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। इन योजनाओं के कामकाज का आकलन करने के लिए, प्रत्येक वित्तीय चक्र की शुरुआत से पहले अनिवार्य रूप से अन्य पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे मूल्यांकनों के निष्कर्षों और सुझावों के आधार पर ही लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।
